आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 388/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लि॰ तृतीय तल, जे. एस. ई. एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

वनाम

1. मैसर्स भगवती एल्यूमिनियन फिटिंग्स जरिये प्रोपराईटर श्री भारत मल सैनी पता–डाबला रोड, नाहर सिंह मार्केट, कोटपूतली, जयपुर ।
   खसरा नम्बर 85, बूचाहेडा, कोटपूतली, जिला जयपुर ।
   दुकान नं॰ 21, एवं 22 खसरा नम्बर 515, बूचाहेडा, कोटपूतली, जिला जयपुर,
   खसरा नम्बर 818/2.51 ग्राम सरूण्ड, टोडी स्टैण्ड के पास, नीम का थाना रोड, कोटपूतली जिला जयपुर ।
   वार्ड नम्बर 3, ढाणी कुशलावाली, बूचाहेडा, कोटपूतली, जिला जयपुर ।
2. कालूराम सैनी
   निवासी प्लाट नं॰ 93, वार्ड नं॰ 3, ढाणी कुशलावाली, बूचाहेडा, कोटपूतली, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री हेमन्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर ।

आदेश दिनांक 28.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.09.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री तुल्लाराम सेनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 85, बूचाहेडा कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 203.47 वर्गगज (2) श्री तुल्लाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नम्बर 21 एवं 22 खसरानम्बर 515, बूचाहेडा कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 51.33 वर्गगज (3) श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री तुल्लाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 818/2.51 ग्राम सरूण्ड, टोडी स्टैण्ड के पास, नीम का थाना रोड, कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गगज को बन्धक रखकर कुल राशि 40,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हेमन्त शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश कर राशि जमा कराने हेतु समय चाहा ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी अधिक्ता ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय दिया जाना उचित नही है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 40,00,000/— रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 43,77,346/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.09.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस का दिनांक 08.10.2020 को प्रकाशन कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री तुल्लाराम सेनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 85, बूचाहेडा कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 203.47 वर्गगज (2) श्री तुल्लाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नम्बर 21 एवं 22 खसरानम्बर 515, बूचाहेडा कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 51.33 वर्गगज (3) श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री तुल्लाराम सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 818/2.51 ग्राम ससण्ड, टोडी स्टैण्ड के पास, नीम का थाना रोड, कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गगज का भौतिक रूप से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर